न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 92 सन 2016
अनवान :–

1. रामचन्द्र पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. पूर्णमल पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
3. लिच्छाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
4. महावीर पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 312/398(10) किला न0 3/0.2150 ,7 ता 9 की 0.759 ,12 ता 14 की 0.759 , 17 ता 19 की 0.7590 ,22 ता 24 की 0.7590, प0न0 312/397(11) किला न0 3/0.2280 ,4/0.2270 ,प0न0 0 मु0न0 54 किला न0 36 की 0. 0510गै.मु. खाला मु0न0 56 किला न0 2 की 0.0380गै.मु. रास्ता कुल 3.7950हैक्ट एवं चक 6 बारानी के प0न0 310/399(16) किला न0 1 ता 15 की 3.7950हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 1/5 ,1/5 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है।

भोमाराम पुत्र पुराराम एवं उसकी पत्नी दाखादेवी दोनो फोत हो चुके है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं मुखराम 6 पुत्रगण एवं तारावती , नारायणी, बिमला , इन्द्रा 4 पुत्रीया कुल 10 वारिस ही है जिसमें मुखराम पुत्र भोमाराम फोत हो गया है जिसके जायज वारीस कृष्णा, धापा, गोमती, पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम ही है।

भोमाराम पुत्र पुराराम के फोत होने पर वादी की बहिनों तारावती , नारायणी, बिमला, इन्द्रा एवं मृतक भाई मुखराम के वारीस कृष्णा, धापा, गोमती, पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम ने अपना जो भी हक व हिस्सा था वह प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तर्क कर दिया इसलिये विवादित भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक [illegible] है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की [illegible] समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार [illegible] हकदार व काश्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 द्वारा तारावती , नारायणी बिमला, इन्द्रा पुत्रीयान भोमाराम एवं कृष्णा , धापा पुत्रीयान मुखराम एवं बशीलाल पुत्र मुखरा का हक व हिस्सा समाप्त हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested

गया है एवं दस्तवरदारी दिनांक 28.08.2014 द्वारा गोमती पुत्री मुखराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया अब वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है।

दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई हक व हकूक हासिल नही हुए बल्कि वादग्रस्त भूमि से तारावती, नारायणी, बिमला, इन्द्रा पुत्रीयान भोमाराम एवं कृष्णा धापा गोमती पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया है और वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्सा में उनका हिस्सा समायोजित हो गया है अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक व हकूक हासिल नही हुए है उक्त दस्तबरदारी दिनांक .31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 वादी के हकों के मुकाबले शुन्य है जिसे शुन्य एवं प्रभावहीन करवाकर विवादित भूमि में अपने 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहनों एव मृतक भाई मुखराम के वारिसों से दस्तबरदारी अपने नाम करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया है हक से ज्यादा भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिये विवादित भूमि रहन बैय एवं मुतंकिल करने पर उतारू है जिससे वादी को अपूर्णीयक्षति होती है इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि में वादी को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार स्वीकार कर ले और वाद भूमि को खूर्द बूर्द ना करे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पाचों 1/5 – 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2070 रोही मौजा 24 जेएसएन खाता संख्या 71/65, ईएक्सपी – 1, जमाबन्दी सम्वत 2070 रोही मौजा चक 6 बारानी खाता संख्या 313/280 ईएक्सपी– 2, दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 ईएक्सपी– 3 , दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 ईएक्सपी– 4 प्रस्तुत की गई है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता श्री महेशचन्द्र शर्मा उपस्थित आकर वादी के वाद में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया कि

वादी व प्रतिवादी के भाई मुखराम की बाल्य अवस्था में ही रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 314/410(198) के किला न0 16 ता 14 प0न0 314/411(225) के किला न0 2 ता 5 कुल 14 बीधा तथा चक 4 आरपीएम के प0न0 297/388(77) के किला न0 6 ता 9 ,11 ता 18 ,23 ता 25 में से 1/2 हिस्सा भूमि भोमाराम जो वादी व प्रतिवादी के पिता थे ने लाड प्यार की वजह से खरीद कर मुखराम के नाम करवाई गई थी जिसमें उतरदाता का बहिब का हक हिस्सा था इसलिये काउन्टर क्लेम घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि मुखराम की उम्र लगभग 6 वर्ष तथा रामचन्द्र की उम्र 2–3 वर्ष उस वक्त की खरीदशुद्वा भूमि भोमाराम की खातेदारी थी जो मुखराम के नाम दर्ज करवाई गई थी।

भोमाराम के नाम रोही मोजा चक 24 जेएसएन में कुल 3.7950हैक तथा चक 6 बारानी में कुल 2.7950हक भूमि थी इसलिये मुखराम , रामचन्द्र के नाम कुल बैनामी भूमि जो भोमाराम की सयुक्त हिन्दु खानदान की खरीदशुद्वा चक 6 बारानी में कुल 3.5420हैक चक 4 आरपीएम में कुल 1.714हवै तथा भोमाराम की चक 24 जेएसएन की कुल 3.7950हैक चक 6 बारनी की कुल 3.7950हैक कुल 12.8460हैक [illegible] जिसमें वादी व प्रतिवादी व मुखराम का बहिब था मुताबिक घरू बटवारा के [illegible] के [illegible] भोमाराम द्वारा सयुक्त परिवार द्वारा खरीद की गई भूमि का सयुक्त परिवार [illegible] उतरदातागण के पक्ष में भोमाराम की भूमि में बहिनों व मुखराम के वारिसान ने हक व हि[illegible] त्याग किया है क्योकि मुखराम के हिस्सा में 2.5692हैक भूमि आती थी जो रोही मौजा चक 6 बारानी में उसके नाम 3.5420हैक दर्ज है तथा ओमप्रकाश के नाम चक 4 आरपीएम में 1.714हैक भूमि दर्ज है तथा चक 6 बारानी के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested

सयुक्त खाता में 3.7950हैक्ट व चक 24 जेएसएन की 3.7950हैक्ट कुल 8.590हैक्ट में 1/10 हिस्सा अर्थात 0.759हैक्ट कुल 2.453हैक्ट दर्ज जबकि उसका हिस्सा जो बनता वह मुखराक वारिसो के नाम दर्ज न कि उतरादाता के इसलिये मुताबिक घरू बटवारा के मुताबिक उतरादाता के नाम भी कम भूमि दर्ज हुई है मुताबिक घरू बटवारा एव भोमाराम की खरीदशुद्वा जो दादालाई थी सभी को शामिल करते हुए उतरदाता के नाम भी भूमि कम है अतः जरिये काउन्टर क्लेम घोषणा करवा पाने के अधिकारी है समस्त भूमि को जो सयुक्त हिन्दु खानदान की पैदा करदा भूमि को शामिल करते हुए बहिब दर्ज किया जावे

भोमाराम के नाम दर्ज भूमि एवं भोमाराम के द्वारा खरीद की जाकर मुखराम व रामचन्द्र के नाम दर्ज करवाई गई भूमि जो सयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि है सभी को शामिल करते हुए घरू व्यवस्था को सुचारू करवाने के लिए दस्तवार दारी उतरदाता के पक्ष में करवाई गई थी जो किसी भी प्रकार से निरस्त योग्य नही है

उतरदाता न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है कि वादी के नाम दर्ज चक 4 आरपीएम की 1.714हैक्ट भूमि जो सयुक्त परिवार की जददी जायदार है जिसे भोमाराम ने वादी के 2–3 वर्ष की उम्र में ही खरीद की गई थी जिसमें उतरदाता का हक हिस्सा है इसी प्रकार मुखराम के नाम खरीदशुद्वा चक 6 बारानी में स्व भोमाराम की खरीदशुद्वा भूमि में 3.5420हैक्ट जिसमें उतरदातागण का बहिब का हक हिस्सा है

वाद में मुखराम के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि आवश्यक पक्षकार है वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है वादी को दावा लाने का अधिकार नही है अतः काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वाद के नाम व मुखराम के नाम से चक 6 बारानी व चक 4 आरपीएम की भूमि सयुक्त हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है क्योकि स्व भोमाराम की खरीदशुद्वा भूमि है जिसमें उतरादाता का बहिब के हक है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वाद वादी खारिज किया जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम शामिल मिसल किया गया ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब काउन्टर क्लेम पेश किया कि दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई हक व हकूक हासिल नही हुए बल्कि वादग्रस्त भूमि से तारावती, नारायणी, बिमला, इन्द्रा पुत्रीयान भोमाराम एवं कृष्णा धापा गोमती पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया है और वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्सा में उनका हिस्सा समायोजित हो गया है अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक व हकूक हासिल नही हुए है उक्त दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 वादी के हकों के मुकाबले शुन्य है जिसे शुन्य एवं प्रभांवहीन करवाकर विवादित भूमि में अपने 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

चक 6 बारानी की भूमि एवं चक 4 आरपीएम की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई हक हिस्सा नही हे क्योकि वह भूमि वादी की स्वय की पैदा करदा आंवटन शुद्वा भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य किसी प्रकार का घरू बटवारा हुआ है ना ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 इस भूमि के सम्बध में कोई घोषणा करवा पाने के अधिकारी है चक 4 आरपीएम की 1.714हैक्ट भूमि वादी की स्वय की पेदा करदा आंवटन शुद्वा भूमि ह जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही है इसीप्रकार चक 6 [illegible] की 3.5420हैक्ट भूमि स्वय की पैदा करदा भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही है वाद में जा आवश्यक पक्षकार है उनको पक्षकार बनाया हुआ है और [illegible] के पक्ष डिक्री किया जाकर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested

वादी के वाद प्रतिवादी के जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम , वादी के जबाब काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकी कायम की जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को साक्ष्य

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पेश करने का अवसर दिया गया वादी ने अपने साक्ष्यवादी में रामचन्द्र पुत्र भोमाराम के ब्यान करवाये गये जिरह प्रतिवादी की गई तथा दस्तावेजात जमाबन्दी रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 71/65 ईएक्सीपी – 1 , जमाबन्दी रोही मौजा चक 6 बारानी खाता संख्या 313/280 ईएक्सपी– 2 , नकल दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 ईएक्सपी –3 , नकल दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2017 ईएक्सपी – 4 नकल फोटो कापी सनद चक 4 आरपीएम दिनांक 12.11.1983 पेश किये गये तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 3 लिच्छाराम पुत्र भोमाराम के ब्यान करवाये गये जिरह वादी के द्वारा की गई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य उभयपक्ष बन्द किये गये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र , काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 312/398(10) किला न0 3/0.2150 ,7 ता 9 की 0.759 ,12 ता 14 की 0.759 , 17 ता 19 की 0.7590 ,22 ता 24 की 0.7590, प0न0 312/397(11) किला न0 3/0.2280 ,4/0.2270 ,प0न0 0 मु0न0 54 किला न0 36 की 0.0510गै.मु. खाला मु0न0 56 किला न0 2 की 0. 0380गै.मु. रास्ता कुल 3.7950हैक एवं चक 6 बारानी के प0न0 310/399(16) किला न0 1 ता 15 की 3.7950हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 1/5 ,1/5 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है।

भोमाराम पुत्र पुराराम एवं उसकी पत्नी दाखादेवी दोनो फोत हो चुके है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं मुखराम 6 पुत्रगण एवं तारावती , नारायणी, बिमला , इन्द्रा 4 पुत्रीया कुल 10 वारिस ही है जिसमें मुखराम पुत्र भोमाराम फोत हो गया है जिसके जायज वारीस कृष्णा, धापा, गोमती, पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम ही है।

भोमाराम पुत्र पुराराम के फोत होने पर वादी की बहिनों तारावती , नारायणी, बिमला, इन्द्रा एवं मृतक भाई मुखराम के वारीस कृष्णा, धापा, गोमती, पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम ने अपना जो भी हक व हिस्सा था वह प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तर्क कर दिया इसलिये विवादित भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 द्वारा तारावती , नारायणी बिमला, इन्द्रा पुत्रीयान भोमाराम एवं कृष्णा , धापा पुत्रीयान मुखराम एवं बशीलाल पुत्र मुखरा का हक व हिस्सा समाप्त हो गया है एवं दस्तवरदारी दिनांक 28.08.2014 द्वारा गोमती पुत्री मुखराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया अब वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है।

दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई हक व हकूक हासिल नही हुए बल्कि वादग्रस्त भूमि से तारावती, नारायणी, बिमला, इन्द्रा पुत्रीयान भोमाराम एवं कृष्णा धापा गोमती पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया है और वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्सा में उनका हिस्सा समायोजित हो गया है अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक व हकूक हासिल नही हुए है उक्त दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08 [illegible] के हकों के मुकाबले शुन्य है जिसे शुन्य एवं प्रभावहीन करवाकर विवादित [illegible] 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा [illegible] अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested

चक 6 बारानी की भूमि एवं चक 4 आर[illegible]म की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई हक हिस्सा नही हे क्योकि वह भूमि वादी की स्वय की पैदा करदा आंवटन शुद्वा भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही है वादी व प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

ता 4 के मध्य किसी प्रकार का घरू बटवारा हुआ है ना ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 इस भूमि के सम्बध में कोई घोषणा करवा पाने के अधिकारी है चक 4 आरपीएम की 1.714हैक्‍ भूमि वादी की स्वय की पेदा करदा आंवटन शुद्वा भूमि ह जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही है इसीप्रकार चक 6 बारानी की 3.5420हैक्‍ भूमि स्वय की पैदा करदा भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही है वाद में जा आवश्यक पक्षकार है उनको पक्षकार बनाया हुआ है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे अपने कथनों के समर्थन में आरएनजे वर्ष– 2022 पेज 1580 प्रस्तुत किये गये

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी के भाई मुखराम की बाल्य अवस्था में ही रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 314/410(198) के किला न0 16 ता 14 प0न0 314/411(225) के किला न0 2 ता 5 कुल 14 बीधा तथा चक 4 आरपीएम के प0न0 297/388(77) के किला न0 6 ता 9 ,11 ता 18 ,23 ता 25 में से 1/2 हिस्सा भूमि भोमाराम जो वादी व प्रतिवादी के पिता थे ने लाड प्यार की वजह से खरीद कर मुखराम के नाम करवाई गई थी जिसमें उतरदाता का बहिब का हक हिस्सा था इसलिये काउन्टर क्लेम घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि मुखराम की उम्र लगभग 6 वर्ष तथा रामचन्द्र की उम्र 2–3 वर्ष उस वक्त की खरीदशुद्वा भूमि भोमाराम की खातेदारी थी जो मुखराम के नाम दर्ज करवाई गई थी।

भोमाराम के नाम रोही मोजा चक 24 जेएसएन में कुल 3.7950हैक्‍ तथा चक 6 बारानी में कुल 2.7950हक्‍ भूमि थी इसलिये मुखराम , रामचन्द्र के नाम कुल बैनामी भूमि जो भोमाराम की सयुक्त हिन्दु खानदान की खरीदशुद्वा चक 6 बारानी में कुल 3.5420हैक्‍ चक 4 आरपीएम में कुल 1.714हवै तथा भोमाराम की चक 24 जेएसएन की कुल 3.7950हैक्‍ चक 6 बारनी की कुल 3.7950हैक्‍ कुल 12.8460हैक्‍ भूमि थी जिसमें वादी व प्रतिवादी व मुखराम का बहिब था मुताबिक घरू बटवारा के मुखराम के नाम भोमाराम द्वारा सयुक्त परिवार द्वारा खरीद की गई भूमि का सयुक्त परिवार मानते हुए उतरादातागण के पक्ष में भोमाराम की भूमि में बहिनों व मुखराम के वारिसान ने हक व हिस्सा त्याग किया है क्योकि मुखराम के हिस्सा में 2.5692हैक्‍ भूमि आती थी जो रोही मौजा चक 6 बारानी में उसके नाम 3.5420हैक्‍ दर्ज है तथा ओमप्रकाश के नाम चक 4 आरपीएम में 1.714हैक्‍ भूमि दर्ज है तथा चक 6 बारानी के सयुक्त खाता में 3.7950हैक्‍ व चक 24 जेएसएन की 3.7950हैक्‍ कुल 8.590हैक्‍ में 1/10 हिस्सा अर्थात 0.759हैक्‍ कुल 2.453हैक्‍ दर्ज जबकि उसका हिस्सा जो बनता वह मुखराक` वारिसो के नाम दर्ज न कि उतरादाता के इसलिये मुताबिक घरू बटवारा के मुताबिक उतरादाता के नाम भी कम भूमि दर्ज हुई है मुताबिक घरू बटवारा एव भोमाराम की खरीदशुद्वा जो दादालाई थी सभी को शामिल करते हुए उतरदाता के नाम भी भूमि कम है अतः जरिये काउन्टर क्लेम घोषणा करवा पाने के अधिकारी है समस्त भूमि को जो सयुक्त हिन्दु खानदान की पैदा करदा भूमि को शामिल करते हुए बहिब दर्ज किया जावे

भोमाराम के नाम दर्ज भूमि एवं भोमाराम के द्वारा खरीद की जाकर मुखराम व रामचन्द्र के नाम दर्ज करवाई गई भूमि जो सयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि है सभी को शामिल करते हुए घरू व्यवस्था को सुचारू करवाने के लिए दस्तवार दारी उतरदाता के पक्ष में करवाई गई थी जो किसी भी प्रकार से निरस्त योग्य नही है

उतरदाता न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है कि वादी के नाम दर्ज चक 4 आरपीएम की 1.714हैक्‍ भूमि जो सयुक्त परिवार की जददी जायदार है जिसे भोमाराम ने वादी के 2–3 वर्ष की उम्र में ही खरीद [illegible] थी जिसमें उतरदाता का हक हिस्सा है इसी प्रकार मुखराम के नाम [illegible] में [illegible] भोमाराम की खरीदशुद्वा भूमि में 3.5420हैक्‍ जिसमें उतरदाता[illegible] हिस्सा है

वाद में मुखराम के वारिसान को प[illegible]र नही बनाया गया है जबकि आवश्यक पक्षकार है वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है वादी को दावा लाने का अधिकार नही है अतः काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वाद के नाम व मुखराम के नाम से चक 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बारानी व चक 4 आरपीएम की भूमि सयुक्त हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है क्योकि स्व भोमाराम की खरीदशुद्वा भूमि है जिसमें उतरादाता का बहिब के हक है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वाद वादी खारिज किया जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्यन /मनन किया गया तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है।

तनकी न0 1 :– आया कि विवादित भूमि जिसका विवरण वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है चक 24 जेएसएन की कुल 3.7950हैक व चक 6 बारानी की 3.7950 हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बहिब 1/5 –1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है ?
तनकी न0 –1 को साबित करने का भार वादी पर था।

वादी ने उक्त तनकी को साबित करने के लिये निवेदन किया की भोमाराम पुत्र पुराराम एवं उसकी पत्नी दाखादेवी दोनो फोत हो चुके है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं मुखराम 6 पुत्रगण एवं तारावती , नारायणी, बिमला , इन्द्रा 4 पुत्रीया कुल 10 वारिस ही है जिसमें मुखराम पुत्र भोमाराम फोत हो गया है जिसके जायज वारीस कृष्णा, धापा, गोमती, पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम ही है।

भोमाराम पुत्र पुराराम के फोत होने पर वादी की बहिनों तारावती , नारायणी, बिमला, इन्द्रा एवं मृतक भाई मुखराम के वारीस कृष्णा, धापा, गोमती, पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम ने अपना जो भी हक व हिस्सा था वह प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तर्क कर दिया इसलिये विवादित भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 द्वारा तारावती , नारायणी बिमला, इन्द्रा पुत्रीयान भोमाराम एवं कृष्णा , धापा पुत्रीयान मुखराम एवं बशीलाल पुत्र मुखरा का हक व हिस्सा समाप्त हो गया है एवं दस्तवरदारी दिनांक 28.08.2014 द्वारा गोमती पुत्री मुखराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया अब वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है।

दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई हक व हकूक हासिल नही हुए बल्कि वादग्रस्त भूमि से तारावती, नारायणी, बिमला, इन्द्रा पुत्रीयान भोमाराम एवं कृष्णा धापा गोमती पुत्रीयान मुखराम एवं बंशीलाल पुत्र मुखराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया है और वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्सा में उनका हिस्सा समायोजित हो गया है अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक व हकूक हासिल नही हुए है उक्त दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 वादी के हकों के मुकाबले शुन्य है जिसे शुन्य एवं प्रभावहीन करवाकर विवादित भूमि में अपने 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

हम वादी के कथनों से सहमत है दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 होने के उपरान्त शेष रहे सहखातेदारों में भूमि बहिब में समायोजित हो जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः तनकी न0 1 पूर्णरूप से साबित होने के कारण यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 2 आया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खिलाफ रहन बैय ना करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है ?

तनकी न0 –2 को साबित करने का भार वादी पर था

वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिये कथन किया की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहनों एव मृतक भाई मुखराम के वारिसों से दस्तबरदारी अपने नाम करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया है हक से ज्यादा भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिये विवादित भूमि रहन बैय एवं मुतंकिल करने पर उतारू है जिससे वादी को अपूर्णीयक्षति होती है इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

तनकी न0 1 में साबित हो चुका है कि वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा अर्थात 1/5– 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम भूमि 1/5 हिस्सा से अधिक दर्ज है अर्थात हक से ज्यादा भूमि दर्ज है यदि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुंतकिल करते है तो वादी को अपूर्णीयक्षति हो सकती है इसलिये वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है अतः तनकी न0 2 भी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 –3 आया की दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एव दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 बहकूक वादी शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने के अधिकारी हे ? वादी

तनकी न0 3 को साबित करने का भार वाद पर था।

तनकी न0 1 ,में विवेचन किया जा चुका है कि दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 होने के उपरान्त शेष रहे सहखातेदारों में भूमि बहिब में समायोजित हो जाते है अतः तनकी न0 3 भी वाद के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 4 आया जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम क्लीन हैण्डस पेश नही होने के कारण खारीज योग्य है? प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पर था।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम वाद में पेश किया जाकर काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया है वादी का कथन है जबाब दावा काउन्टर क्लेम क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह कहा जा सके की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम क्लीन हैण्ड नही है किसी भी पक्षकार को अपने कथनों को व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है साक्ष्य सबुतो के अभाव में तनकी न0 4 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न0 – 5 आया जबाब दावा के मद स 8 में दर्ज अनुसार जरिये काउन्टर क्लेम घोषणा करवाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पर था।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने तनकी को साबित करने के लिये कथन किये की रोही मोजा चक 6 बारानी की कुल 14 बीधा एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम की कुल 25 बीधा भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि रामचन्द्र व मुखराम के नाम बाल्यवस्था में ही खरीद की जाकर उनके नाम करवाई गई थी उक्त भूमि सयुक्त परिवार की आय से खरीद करने के कारण सयुक्त परिवार की जददी जायदाद की श्रेणी मे आती है।

भोमाराम के नाम दर्ज भूमि रोही मौजा चक 24 जेएसएन की कुल 3.7950हैक , रोही मौजा चक 6 बारानी की कुल 2.7950हैक व भोमाराम के द्वारा अपने पुत्रों रामचन्द्र व मुखराम के नाम सयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि रोही मौजा चक 6 बारानी में कुल 3.5420हैक व चक 4 आरपीएम की 1.714हैक भूमि इसप्रकार भोमाराम के नाम दर्ज भूमि एवं सयुक्त परिवार की आये से अर्जित भूमि कुल 12.8460हैक बनती है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व मुखराम का बराबर का हक हिस्सा है घरू बटवारा करने पर मुखराम के नाम भोमराम के द्वारा खरीद की गई भूमि आने के कारण मुखराम के वारिसों ने अपने हकों का त्याग प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया गया था भोमाराम एव उसके द्वारा परिवार की सुयक्त आय से खरीद की गई भूमियों को मिलाकर सभी को बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त हो इसलिये घरू बटवारा किया जाकर उक्त दस्तबरदारी करवाई गई थी अब वादी का ऐतराज करने पर सभी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने काउन्टर क्लेम घोषणा चाही गई है कि सभी भूमिया जो भोमाराम के नाम से दर्ज थी एव भोमाराम के द्वारा सयुक्त परिवार की आय से खरीद कर वादी व मुखराम के नाम दर्ज करवाई गई थी को शामिल करते हुए हको की घोषणा की जावे।

हमने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कथनों पर मनन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया वादी रामचन्द जो वर्तमान में 58 वर्ष का होना अंकित किया गया है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत सनद जिसमें भूमि 1975 को आवंटन होना अंकित किया गया है वादी की उम्र एव आवंटन तिथि का मिलान करने पर वादी की उम्र केवल 10 वर्ष थी जब उसे भूमि निलामी में खरीद की गई थी अर्थात नाबालिग था वादी की उम्र एवं आवंटन तिथि के मिलान से ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि उसके पिता भोमाराम से अपने पुत्र के नाम सयुक्त परिवार की आय से करवाई गइ है तथा रोही मौजा चक 6 बारानी की भूमि को सयुक्त परिवार की आय से खरीद करने का कथन किया गया है किन्तु अपने कथनों के सम्बध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कथन साबित होता हो साथ ही मुखराम वाद में पक्षकार भी नही है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने काउन्टर क्लेम में सयुक्त परिवार की आय से भूमि खरीद करने का कथन कियाा गया है किन्तु अपने कथनों की ताईद में पर्याप्त साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये गयें है साक्ष्य सबुतों के अभाव में तनकी न0 5 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 साबित करने में नाकाम रहने के कारण तनकी न0 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 –6 आया दावा आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज योग्य है
इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पर था

दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एव दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 के आधार पर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज होने पर अपने हकों की धोषणा करवाने का वाद पेश किया गया है जिसमें आवश्यक पक्षकार बनायें गये है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने मुखराम या मुखराम के वारिसों को पक्षकार बनाने नही बनाने का आक्षेप किया गया है जबकि वादी का अनुतोष मुखराम या मुखराम के वारिसों से न होकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने काउन्टर क्लेम में मुखराम या मुखराम के वारिसों के नाम दर्ज भूमि के सम्बध में अनुतोष चाहा गया है अर्थात वादी ने वाद में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाया गया है अतः तनकी न0 6 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्व तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से पूर्णत्या साबित हो चुका है कि दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 31.07.2014 एवं दस्तबरदारी दिनांक 28.08.2014 होने के उपरान्त शेष रहे सहखातेदारों में भूमि बहिब में समायोजित हो जाती है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है

तनकीवार विवेचन एव वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात /साक्ष्यों से वादी का वाद पूर्णत्या साबित होने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 312/398(10) किला न0 3/0.2150 ,7 ता 9 की 0.759 ,12 ता 14 की 0.759 , 17 ता 19 की 0.7590 ,22 ता 24 की 0.7590, प0न0 312/397(11) किला न0 3/0.2280 ,4/0.2270 ,प0न0 0 मु0न0 54 किला न0 36 की 0.0510गै.मु. खाला मु0न0 56 किला न0 2 की 0.0380गै.मु. रास्ता कुल 3.7950हैक एवं चक 6 बारानी के प0न0 310/399(16) किला न0 1 ता 15 की 3.7950हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 1/5 ,1/5 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामचन्द्र पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. पूर्णमल पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
3. लिच्छाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
4. महावीर पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 92 सन 2016 निर्णय दिनांक– 15/03/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री हवासिह पुनिया एव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 श्री महेश चन्द्र शर्मा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 312/398(10) किला न0 3/0.2150 ,7 ता 9 की 0.759 ,12 ता 14 की 0.759 , 17 ता 19 की 0.7590 ,22 ता 24 की 0.7590, प0न0 312/397(11) किला न0 3/0.2280 ,4/0.2270 ,प0न0 0 मु0न0 54 किला न0 36 की 0.0510गै.मु. खाला मु0न0 56 किला न0 2 की 0.0380गै.मु. रास्ता कुल 3.7950हैक एवं चक 6 बारानी के प0न0 310/399(16) किला न0 1 ता 15 की 3.7950हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 1/5 ,1/5 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:52 IST
Reason: SelfAttested